अशोक बनाम कान्तीलाल वगै0

अपील संख्या : 2023/143

03.08.2023	विद्वान अधिवक्ता अपीलांट बलराम शर्मा की ओर यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट दीगोद के प्रकरण संख्या 52/2021 प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश दिनांक 01.07.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अंतरिम स्थगन हेतु सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे स्थगन प्रार्थना–पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर अपीलांटगण के शामलाती खाते की ग्राम पोलाई कलां तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 12 रकबा 1.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर5 की रकबा 4.29 हैक्टेयर कुल किता 2 की रकबा 5.29 हैक्टेयर भूमि के प्रार्थीगण के कब्जे में दखलंदाजी नहीं करने बाबत पाबन्द करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण प्रतिपक्षीगण को सूचना दिये बिना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा सुनवाई करके बिना रिकॉर्ड का अवलोकन किये सम्पूर्ण भूमि के बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि ग्राम पोलाई कलां तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 12 रकब 1.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5 की रकबा 4.29 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 5.29 हैक्टेयर भूमि विवादित भूमि है जो अपीलांटगण व रेस्पोडेन्ट के शामलाती कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जिसमें अपीलांटगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 का 1/2 अविभाजित हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश जैर अपील की आड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 अपीलांटगण व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को उनके 1/2 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करते है । यदि आदेश की पालना को स्थगित नहीं किया गया तो रेस्पोडेन्टगण, अपीलांटगण को उनके 1/2 हिस्से की भूमि से वंचित रह जावेंगे व अपील करना ही बेकार हो जावेगा। अधीनस्थ न्यायालय बार–बार निवेदन करने पर भी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अंतिम निर्णय नहीं कर रहा है। दिनांक 01.07.2021 को पारित स्थगन आदेश को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। अन्त मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2021 की पालना अन्तरिम रूप से स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 01.07.2021 का है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 01.07.2021 में प्रार्थीगण कान्तीलाल वगैरह की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अपीलांट के विरूद्ध प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलंदाजी नहीं किये जाने हेतु अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। दिनांक 01.07.2021 के आदेश की प्रकृति अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के प्रावधानों के प्रकाश में दिनांक 01.07.2021 को पारित अंतरिम आदेश के पश्चात् अविलम्ब नियमानुसार प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अंतिम रूप से निस्तारण करना चाहिए। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अंतिम निस्तारण नहीं किया जा रहा। हमारे समक्ष प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के प्रावधानों की पालना नहीं की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट अप्रार्थीगण व रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण के अधिवक्तागण उपस्थित होना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को सी.पी.सी. के प्रावधानों के प्रकाश में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अंतिम रूप से निस्तारण करना चाहिए। हमारे मत में इस स्टेज पर अधीनस्थ न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 01.07.2021 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। परन्तु प्रकरण की परिस्थितियों एवं तथ्यों को प्रथम दृष्ट्या ध्यान में रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर निर्णित की जाकर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाना उचित प्रतीत होता है कि वह आदेश के संज्ञान में आने के पश्चात 30 दिवस के अंदर उभयपक्षकारान को सुनकर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का गुणावगुण पर अंतिम रूप से निस्तारण करे।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट इसी स्तर पर निर्णित की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि वह न्यायालय हाजा के आदेश के संज्ञान में आने के 30 दिवस के अंदर लम्बित प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का उभयपक्षकारन को सुनकर गुणावगुण पर निस्तारण करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश की सत्यप्रति अधीनस्थ न्यायालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब प्रेषित की जावे। आदेश आज दिनांक 03.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा